



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा-2020 के आयोजन की सूचना

दिनांक
30.05.2022

ऑनलाइन आवेदन अवधि	प्रवेश-पत्र की उपलब्धता	परीक्षा तिथि
दिनांक 13.06.2022 से 28.06.2022 तक	दिनांक 18.07.2022	24.07.2022

- 01 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक 04/2020 दिनांक 28.12.2020 के संदर्भ में आयोजित की गयी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दिनांक 15.01.2022 को घोषित किया गया है। उक्त परीक्षा में सफल आवेदकों हेतु राज्य वन सेवा (मुख्य) परीक्षा 2020 दिनांक 24.07.2022 को इंदौर स्थित परीक्षा केंद्र पर निम्नानुसार आयोजित की जाएगी :-

ऑफलाइन परीक्षा		अवधि
खण्ड 'अ'	मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान	परीक्षा तिथि : 24.07.2022 दोपहर 12:00 बजे से 03:00 बजे तक
खण्ड 'ब'	वानिकी एवं सामान्य विज्ञान	
प्रश्नपत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से OMR आधारित होगी		

- 02 वन सेवा मुख्य परीक्षा हेतु सफल आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरकर आवेदन एवं परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना आवश्यक होगा। मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 13.06.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से 28.06.2022 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in तथा <https://mppsc.mp.gov.in> पर भरे जा सकते हैं। आवेदकों को मुख्य परीक्षा हेतु निम्नानुसार आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देय होगा:-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमी लेयर) श्रेणी के आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क	शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए आवेदन एवं परीक्षा शुल्क
₹ 400/-	₹ 800/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा	

- 03 आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिनांक 18.06.2022 से दिनांक 30.06.2022 तक त्रुटि सुधार भी कर सकेंगे। त्रुटि सुधार अवधि के पश्चात आवेदन पत्र में कोई सुधार नहीं किए जा सकेंगे। त्रुटि सुधार हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- (सेवाकर सहित) देय होंगे। जिन आवेदकों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु अंतिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरे जाएंगे राज्य वन सेवा परीक्षा 2020 हेतु उनकी उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी एवं इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य न करते हुये उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

- 04 विलम्ब शुल्क सहित आवेदन :- आयोग की यह मान्यता है कि सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन भर देंगे। अतः अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 28.06.2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें ताकि विलम्ब शुल्क के भुगतान की परिस्थिति उपस्थित न हो। अपरिहार्य कारणों से जो अभ्यर्थी अन्तिम तिथि तक ऑनलाइन आवेदन नहीं भर पाते हैं उनकी सुविधा हेतु अन्तिम तिथि के बाद विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन की निम्नानुसार व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है :-

1. दिनांक 29.06.2022 से 05.07.2022 तक - ₹ 3000/-
2. दिनांक 06.07.2022 से 16.07.2022 तक- ₹ 25000/-

विशेष : 1. विलम्ब शुल्क की उपरोक्त राशि के साथ परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल शुल्क का भुगतान पृथक से देय होगा।

2. ₹3000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदनों में दिनांक 06.07.2022 तक तथा ₹25000 विलम्ब शुल्क के साथ प्रस्तुत आवेदन पत्रों में दिनांक 17.07.2022 तक विहित शुल्क का भुगतान कर त्रुटि सुधार किया जा सकेगा।

05 * मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र दिनांक 18.07.2022 से www.mponline.gov.in तथा <https://mppsc.mp.gov.in> पर ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। प्रवेश पत्र डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित नहीं किए जाएंगे। प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु आवेदक mponline के अधिकृत कियोस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

06 आवेदक कृपया ध्यान रखें कि परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र के साथ निम्नानुसार मान्य फोटो युक्त मूल पहचान-पत्र प्रस्तुत करने एवं उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी :-

1.	मतदाता परिचय पत्र	2.	आधार कार्ड (फोटोकापी मान्य)	3.	ड्रायविंग लायसेंस
4.	आयकर का पेन कार्ड	5.	पासपोर्ट	6.	फोटो सहित बैंक पासबुक
7.	केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र	8.	शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत आवेदकों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व जारी फोटो पहचान पत्र		
9.	राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र				

07 मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत न हों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हों को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेखित वर्तमान पते के शहर/ग्राम से उन्हें आबंटित परीक्षा शहर तक आने जाने के यात्रा व्यय का भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे:-

- (1) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
- (2) मूल यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी, तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो, ई-टिकट होने की स्थिति में स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना होगी।

09 राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2020 की परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट <https://mppsc.mp.gov.in> पर उपलब्ध है।


सचिव